

14/15/16

115



राज्य निर्वाचन आयोग  
बिहार  
STATE ELECTION COMMISSION,  
BIHAR

पत्र सं. पं0नि0-30-77/2016- 1673

पटना, दिनांक- 11 मार्च, 2016

प्रेषक,

दुर्गेश नन्दन,  
सचिव।

पंचायत आम निर्वाचन-2016  
महत्वपूर्ण

सेवा में,

जिला पदाधिकारी -सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत), अररिया।

विषय :-

पंचायत आम निर्वाचन, 2016 - मतदान केन्द्रों की स्थापना एवं आयोग का अनुमोदन।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक 246 दिनांक 19.02.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त निम्नांकित प्रखण्डों के लिये स्तम्भ-3 में अंकित मतदान केन्द्रों के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 26 के अन्तर्गत स्तम्भ-4 में अंकित संख्या में मतदान केन्द्रों पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

| क्र0                          | प्रखंड का नाम | जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं0) द्वारा प्रस्तावित मतदान केन्द्रों की संख्या | आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की संख्या |
|-------------------------------|---------------|---|--|
| 1                             | 2             | 3   | 4  |
| 1                             | सिकटी         | 186 + 16 सहायक मतदान केन्द्र  | 202  |
| 2                             | अररिया        | 428 + 35 सहायक मतदान केन्द्र  | 463  |
| 3                             | कुर्साकांटा   | 175 + 5 सहायक मतदान केन्द्र   | 180  |
| 4                             | भरगामा        | 271 + 8 सहायक मतदान केन्द्र   | 279  |
| 5                             | फारबिसगंज     | 442 + 50 सहायक मतदान केन्द्र  | 492  |
| 6                             | रानीगंज       | 455 + 18 सहायक मतदान केन्द्र  | 473  |
| 7                             | पलासी         | 278 + 16 सहायक मतदान केन्द्र  | 294  |
| 8                             | जोकीहाट       | 351 + 20 सहायक मतदान केन्द्र  | 371  |
| 9                             | नरपतगंज       | 406 + 22 सहायक मतदान केन्द्र  | 428  |
| कुल मतदान केन्द्रों की संख्या |               | 2992 + 190 = 3182   | 3182   |

2. मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाय तथा उस सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन,

सचिव।